न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :–469 / 2022 निर्णय दिनांक :–26.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. ओम प्रकाश पुत्र मदन लाल जाति ब्राह्मण उम्र 66 वर्ष निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
2. नन्दलाल पुत्र मदन लाल जाति ब्राह्मण उम्र 69 वर्ष निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टॉक राज०?
3. कान्ता पुत्री मदन लाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
4. सुशीला पुत्री मदन लाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टॉक राज०

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. रामकन्या पत्नी स्व० देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
2. कान्ता पुत्री स्व० देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टॉक राज०
3. गीता पुत्री स्व० देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
4. मन्जू पुत्री स्व० देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
5. मूलचन्द पुत्र नन्दा मीणा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टॉक राज०
6. कमला देवी पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा उम्र बालिग निवासी जयपुर चुंगीनाका देवली तहसील देवली जिला टोंक राज०
7. इन्द्रा लखारा पत्नी रमेश चन्द लक्षकार जाति लखारा उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
8. छोटू पुत्र रामस्वरूप लखारा जाति लखारा उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
9. रमेश चन्द्र पुत्र रामस्वरूप लखारा जाति लखारा उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
10. शंकर लाल पुत्र रामस्वरूप लखारा जाति लखारा उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
11. श्रीमान तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राज० लेण्ड होल्डर

–अप्रार्थीगण–

Ruby

–उपस्थितिः–

श्री रामलाल कटारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अरविन्द दाधीच अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 ता 4
श्री राजेन्द्र जेतरवाल अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 5 व 6
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध 7 ता 10
तहसीलदार, देवली

मिशल संख्या :–339/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. कमला देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी बजरंग कॉलोनी, जयपुर चुंगीनाका, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– **प्रार्थीया** –

बनाम

1. कान्ता पुत्री देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगॉव तहसील देवली जिला टॉक राज०
2. गीता पुत्री देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगॉव तहसील देवली जिला टोंक राज०
3. मन्जू पुत्री देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगॉव तहसील देवली जिला टोंक राज०
4. रामकन्या पत्नी देवीशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज०
5. श्रीमान तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राज० लेण्ड होल्डर

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री आलोक शर्मा अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

<u>मिसल संख्या 469/2022 एवं मिसल संख्या 339/2023 का समेकित निर्णय</u>

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0टीनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली निर्णय वास्ते पेश हुई। जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया कमला देवी ने पत्रावली संख्या 339/2023 कमला देवी बनाम कान्ता में अपनी भूमि खसरा नं. 5663/1277 तक पहुचने हेतु इसी खसरा नं. 1269 के पूर्वी दिशा की और उत्तर से दक्षिण की ओर 30 फीट कदीमी रास्ते की मांग की है। वहीं, दूसरे प्रकरण संख्या 469/2022 ओमप्रकाश बनाम रामकन्या आदि में अपनी भूमि खसरा नं. 1279 तक पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1269, 1270, 5663/1277 व 5664/1277 की मेड़ में पश्चिम दिशा से 20 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है। समेकन का आधार चूँकि दोनों प्रार्थना पत्रों में विवादित भूमि खसरा

नंबर 1269 और पक्षकार समान हैं, अतः न्यायहित में और विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए दिनांक 17.03.2025, को दोनों पत्रावलियों को समेकित किया गया। मुख्य निर्णय प्रकरण संख्या 469/2022 में दिया जा रहा है, जो दोनों पर लागू होगा। प्रार्थीगण का तर्क है कि उनके खेतों तक कृषि यंत्र ट्रेक्टर–ट्रॉली ले जाने हेतु कोई विधिवत रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिससे कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर काश्त करने के लिये आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि जो ग्राम देवलीगाँव तहसील देवली जिला टोंक राज मे स्थित है से प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने के लिये 20–30 फीट चोडा रास्ता दिलाया जावें तथा ग्राम देवलीगाँव के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस ने तरमीम करवाया जाकर जमाबन्दी मे रास्ता गै० मु० दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा की जावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

21। प्रकरण संख्या 469/2022 में अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण 5 ता 6 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र जेतरवाल ने वकालतानामा पेश किया व जवाब नही देकर सीधे बहस हेतु प्रार्थना की। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे प्रार्थीगण की आराजी भूमि ग्राम देवलीगांव में होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने का रास्ता पूर्व मे ही मौजूद है जो गै०मु० रास्ता खसरा नम्बर 1284 से खसरा नम्बर 1276, 5664/1277 व 5663/1277 की मेर पर से होकर आता जाता है जिसका बरसो से प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण कभी भी अपनी खातेदारी की भूमि मे खसरा नम्बर 1269 में से होकर आते जाते नही है और ना ही कभी पूर्व मे खसरा नम्बर 1269 में से होकर आये गये है, ना ही मोके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण हमेशा से ही गै०मु० रास्ता खसरा नम्बर 1284 से खसरा नम्बर 1276, 5664/1277 व 5663/1277 की मेर पर से होकर ही अपने खेत मे आते जाते है तथा अपने कृषि यंत्र भी इसी रास्ते मे से होकर अपनी आराजीयात मे लाते ले जाते है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास पहले से ही अपने खेत मे जाने के लिये वेकल्पिक रास्ता मौजूद है जो सुगम, सरल, सीधा व नजदीक है। प्रार्थीगण हमेशा से ही गै०मु० रास्ता खसरा नम्बर 1284 से खसरा नम्बर 1276, 5664/1277 व 5663/1277 की मेर पर से होकर अपने खेत में आते जाते है तथा अपने कृषि यंत्र भी इसी रास्ते मे से होकर अपनी आराजीयात मे लाते ले जाते है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात के काफी नजदीक भी है। धारा 251ए राज० टीनेन्सी एक्ट की मंशा काश्तकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार रास्ता देने की नहीं है, ना ही उसकी सुविधा के अनुसार रास्ता देने की है। प्रार्थीगण के पास पूर्व मे ही नजदीकी वैकल्पिक रास्ता

Ruby

मौजूद है जहां से प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। मोके पर किसी प्रकार का कदीमी रास्ता बना हुआ नही है क्योंकि प्रार्थीगण कभी भी अपनी आराजीयात पर उक्त मांगे गये रास्ते से आये गये नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है।

तहसीलदार देवली से न्यायालय के पत्र कमांक 416 दिनांक 23.09.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई, जिसके कम में तहसीलदार देवली के पत्र कमांक राजस्व/2025/976 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में धारा 251 ए मिसल संख्या 469/2022 ओमप्रकाश बनाम रामकन्या एवं मिसल संख्या 339/2023 कमला बनाम कान्ता में मौका रिपोर्ट की जांच भूअभि०नि० देवली द्वारा की गई जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रार्थीयान को की अपनी आराजी नंबर 5663/1277 रकबा 0.72 है0 व 1279 रकबा 1.11 है० पर पहुंचने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते का आवश्यकता अत्यधिक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो खसरा नंबर 1042 किरम गै०मु० रास्ता से खसरा नंबर 1260 की पूर्वी मेड पर दक्षिण से उत्तर होते हुए खसरा नंबर 5663/1277 की दक्षिण पूर्वी मेड से होते हुए खसरा नंबर 1279 पर मिलेगा। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तावित रास्ता भी अलग अलग स्थान से रिकॉर्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ता भी रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नंबर 1042 से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की खसरा नंबर 1269 में चौडाई 9 मीटर एवं लंबाई 68 मीटर है अर्थात कुल क्षेत्रफल 612 वर्गमीटर व खसरा नंबर 5663/1277 में चौडाई 6 मीटर व लम्बाई 123 मीटर अर्थात्त कुल 738 वर्गमीटर इस प्रकार कुल रकबा 1350 वर्गमीटर यानि 0.135 है० है। रास्ता चाही जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 1353000 प्रति हैक्टेयर है जिसके हिसाब से एक गुना राशि 182655 रू० एवं दुगुनी प्रतिकर राशि 365310 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 1269 व 1270 में से चाहा गया है लेकिन लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित कर नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार आदि नहीं है। खसरा नंबर 1269 के खातेदार रास्ता देने के लिए असहमत है व खसरा नंबर 5663/1277 के खातेदार कमला देवी रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुर रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। आवेदित खसरा सिंचित है एवं एनएच 52 से दूरी 1.5 किमी एवं अजमेर–केकडी पुराना रोड से 500 मीटर व देवलीगांव से 1.5 किमी दूर है। अतः नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Ruby

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराया और प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हस्तगत समेकित प्रकरणों में प्रार्थीगण द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1279 व 5663/1277 तक कृषि संसाधनों के आवागमन हेतु मार्ग की मांग की गई है, जिस पर न्यायालय द्वारा मंगवाई गई तहसीलदार देवली की मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस पत्रावली पर मुख्य आधार है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की भूमि लैंड–लॉक्ड स्थिति में है और अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया वैकल्पिक मार्ग खसरा नं. 1284 व 1276 की मेड़ ट्रैक्टर–ट्रॉली के सुगम संचालन हेतु अनुपयुक्त पाया गया है, जबकि सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 के विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित मार्ग, जो सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 1042 से प्रारंभ होकर खसरा नं. 1269 की पूर्वी मेड़ पर दक्षिण से उत्तर की ओर लंबाई 68 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर (कुल 612 वर्ग मीटर) में विस्तृत है और आगे खसरा नं. 5241/952 व 952 की मेड़ से होता हुआ प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 5663/1277 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर चौड़ाई 6 मीटर व लंबाई 123 मीटर कुल 738 वर्ग मीटर में जाकर मिलता है, को लघुत्तम दूरी के सिद्धांत पर न्यायोचित मानते हुए कुल 1350 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रास्ता स्वीकृत किया जाता है। चूंकि पत्रावली में ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामकन्या एवं अन्य के साथ कमला बना कांता पत्रावली कन्सोलिडेट है। तदनुसार दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर प्रस्तावित रास्ता निम्न प्रकार रहेगा :–

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	1269	68	9	612
2	5663/1277	123	6	738

प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 1353000/– प्रति0 है0 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 5663/1277 के लिये प्रस्तावित रास्ता खसरा न0 1269 में से कुल 612 वर्गमीटर के लिये दुगुनी प्रतिकर राशि 165608 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद करे उक्त कुल 612 वर्गमीटर हेतु कुल राशि 165608/–रूपये कमला बनाम कांता (339/2023) के प्रार्थीया कमला देवी पत्नी नन्दकिशोर जमा राजकोष करवाये जाने पर उक्त रास्ता गै0मु0 रास्ते के रूप में अमल दरामद करे। खसरा नम्बर 1279 के लिये प्रस्तावित रास्ता खसरा न0 5663/1277 में से कुल 738 वर्गमीटर के लिये दुगुनी प्रतिकर राशि 199703/– रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद करे उक्त कुल 738 वर्गमीटर हेतु कुल राशि 199703/– रूपये ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामकन्या व अन्य (469/2022)के प्रार्थीगण जमा राजकोष करवाये जाने पर उक्त रास्ता गै0मु0 रास्ता के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)